



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

### आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-210

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 276901 दिनांक 09/01/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Anita W/o DEEPAK GODARA	श्रेष्ठ रियल टेक्नोलोजीज प्रा0लि0 जरिये निदेशक श्री गौरी शंकर गुप्ता पुत्र श्री रामगोपाल गुप्ता	11	146.98 SQ. YARD	Private	KRISHAN KUNJ Sector/Block-	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना कृष्ण कुंज के भूखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 146.98 वर्ग गज की लीजडीड श्रेष्ठ रियल टेक्नोलोजीज प्रा0लि0 जरिये निदेशक श्री गौरी शंकर गुप्ता पुत्र श्री रामगोपाल गुप्ता के नाम से दिनांक 22.03.2013 को जारी की गयी है। तत्पश्चात श्रेष्ठ रियल टेक्नोलोजीज प्रा0लि0 जरिये निदेशक श्री गौरी शंकर गुप्ता द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.05.2019 के द्वारा श्रीमती नीलू भाटी पत्नी श्री अमर सिंह भाटी को कर दिया



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

गया। तत्पश्चात श्रीमती नीलू भाटी द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.05.2024 के द्वारा श्रीमती अनिता पत्नी श्री दीपक गोदारा को कर दिया गया। आवेदिका अनिता द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Anita W/o DEEPAK GODARA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |